न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 57/2020 – प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन

1. दशरथ सिंह पुत्र शिवसिंह राजपूत निवासी मण्डपिया शक्तावतान तहसील व जिला भीलवाडा
2. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र शिवसिंह राजपूत निवासी मण्डपिया शक्तावतान तहसील व जिला भीलवाडा
3. सुनीता कंवर पुत्री शिवसिंह राजपूत निवासी मण्डपिया शक्तावतान तहसील व जिला भीलवाडा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–अप्रार्थी

प्रकरण संख्या 68/2020 अपील निर्णय दिनांक 28.09.2020 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 एवं आदेश 47 सी.पी.सी.

आदेश

दिनांक 12.10.2020

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114 एवं आदेश 47 सी. पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 7299 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा थी, जो एकल खातेदार नाथू पुत्र श्रीसुखा जाट के नाम पर थी। जिसने उक्त आराजी में से 1/7 हक हिस्सा विक्रय किया गया, जिसमें पड़ौस अंकित करके विक्रय पत्र पंजीयन कराया गया था। कानूनन नामान्तरकरण खोलते समय रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की मंशा व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित पडौसों के मध्य की जमीन का अलग से तरमीम कर बटा नम्बर कायम होना चाहिए था, जो नही किया गया, इसलिए अपील पेश की की गयी, जो विधि सम्यक होते हुए भी विधि व तथ्यों से परे जाकर उक्त निर्णय पारित हुआ हैं। उक्त आराजी मे से कुछ भूमि नेशनल हाईवे में चली गयी है, जिसका मुआवजा भी प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नही किया गया, जिसमें उक्त आराजी का रकबा 05.16 बीघा रह गया हैं, अब उक्त जमीन का बंटवाड़ा भी नही हो सकता हैं। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जिसमें विधि तथ्य की त्रुटि रह गयी है, जो पुर्नविलोकन द्वारा सुधार किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में निर्णय/आदेश का पुर्नविलोकन कराया जाकर अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण खारीज करा, अपील रिमाण्ड किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रिव्यू (पुनर्विलोकन याचिका) का अवसर विस्तार – "यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं में ठीक किया जा सकता है, परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों

साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– '' Review error apparent on face of record, means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons.''

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं। प्रकरण सं. 68/2020 में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 28.09.2020 को ही निर्णित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 12-10-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा